"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 नवम्बर 2014— कार्तिक 14, शक 1936

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-71/2014/वा.क.(आब.)/पाँच (78).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को बोतल में भरने के लिए एफ.एल.9क अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ.एल.9क अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देय विशेष बोतल भराई फीस -

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	विशेषाधिकार (फ्रेंचाईज) व्यवस्था के अधीन भारत में निर्मित विदेशी मदिरा निर्यात हेतु बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माल्ट मदिरा हेतु (माल्ट में बीयर, ऐल, स्टाऊट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित है)	प्रदेश से निर्यात होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु	रुपये 0.50 प्रति बल्क लीटर

2. यह अधिसूचना जारी तिथि से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 10-71/2014/वा.क.(आब.)/पॉच (78).—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-71/2014/वा.क.(आब.)/पॉच (78), दिनांक 3-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 10-71/2014/CT(Ex)/V (78).--- In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F. L. 9 (a) licensees as follows :-

S. No.	Type of Foreign Liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor to be bottled under special franchise arrangement for export	Bottling fees payable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	For Malt Liquor (including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider)	For each brand and label to be exported	Rs. 0.50 per bulk litre

2. This Notification shall come into force with effect from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2014.